6 निर्माण कार्य

किसी भी विद्यालय में शिक्षा की गुणवत्ता, नामांकन, ठहराव आदि हेतु विद्यालय परिसर में मूलभूत भौतिक सुविधाओं की उपलब्धता अत्यन्त आवश्यक है । इस दृष्टि से सर्व शिक्षा अभियान योजनान्तर्गत विद्यालय में भवन, अतिरिक्त कक्षा कक्ष, प्रधानाध्यापक कक्ष, शौचालय, पेयजल सुविधा, बिजली की सुविधा, रैम्प आदि के निर्माण हेतु प्रावधान रखा गया है । शिक्षा के प्रति जागरूकता लाने के लिए यह आवश्यक है कि विद्यालय भवन को मात्र एक भवन तथा पत्थर और सीमेन्ट का ढांचा ही नही अपितु विद्यालय भवन को शिक्षा अर्जित करने का एक आवश्यक माध्यम समझा जावे।

निर्माण कार्यो को संपादित कराये जाने का दायित्व ''विद्यालय विकास एवं प्रबन्धन समिति'' का है साथ ही ब्लॉक एवं जिले पर पदस्थापित तकनीकी अधिकारियों की मुख्य भूमिका संबंधित एसडीएमसी को समय–समय पर आवश्यकतानुसार तकनीकी मार्गदर्शन प्रदान करने की हैं।

आनन्ददायी शिक्षण हेतु विद्यालय भवन को आकृर्षित बनाने हेतु विद्यालय भवनो मे विभिन्न प्रकार के बाल केन्द्रित घटको का समावेश किया जाना आवश्यक है। प्रत्येक विद्यालय में विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों की सुविधा हेतु रैम्प का निर्माण भी आवश्यक है।

एस.डी.एम.सी अध्यक्ष/सचिव/ सदस्यों की निर्माण कार्यों के क्रियान्वयन एवं मापदण्डों की जानकारी देने हेतु एक दिवस प्रशिक्षण करना जो कि 3 दिवसीय सामुदायिक गतिशीलता एवं शाला स्वच्छता कार्यक्रम के प्रशिक्षण में सम्मिलित किया गया है । उक्त प्रशिक्षण ब्लॉक स्तर पर आयोजित किया जावेगा । संबंधित ब्लॉक के कनिष्ठ अभियंता, कनिष्ठ लेखाकार व सहायक अभियंता, संदर्भ व्यक्ति के रूप में प्रशिक्षण देंगें ।

निर्माण कार्यो में ''विद्यालय विकास एवं प्रबन्धन समिति'' के उत्तरदायित्व :

राज्य के समस्त राजकीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में जनसहभागिता के आधार पर विद्यालय का विकास करने एवं प्रबन्ध व्यवस्था का सुदृढ़ीकरण करने की दृष्टि से विद्यालय विकास एवं प्रबन्धन समितियों (SDMC) का गठन किया गया है। इन समितियों से अपेक्षित है कि :–

- विद्यालय भवन में विशेष मरम्मत कार्य का आंकलन कर प्रस्ताव निर्धारित प्रपत्र में संबंधित बी.आर.सी.एफ के माध्यम से जिला परियोजना कार्यालय को प्रस्तुत करना ।
- विभिन्न योजनाओं में विद्यालय परिसर में भवन निर्माण से सम्बधित समस्त कार्य संपादित करे।
- स्थानीय आवश्यकताओं व छात्रो की संख्या के आधार पर विभिन्न आवश्यक निर्माण कार्यो का औचित्य सहित पता लगाये तथा नियमित बैठक में आवश्यक निर्माण कार्यो के प्रस्ताव लेवें।
- निर्माण कार्यो हेतु जनसहभागिता से नगद, श्रम अथवा सामग्री के रूप से जनसहयोग प्राप्त करना व इसका लेखा जोखा रखना।
- विद्यालय की परिसम्पतियो का बेहतर उपयोग व रखरखाव सुनिश्चित करना।

- पारदर्शिता के साथ साथ स्वामित्व एवं जनसहभागिता की भावना विकसित करना। गुणवत्ता सहित निर्माण कार्य करवाना व निश्चित समयावधि में निर्माण पूर्ण करना।
- भविष्य में निर्माण कार्यो का रखरखाव स्थानीय समुदाय के सहायता से सुनिश्चित करना।
- निर्माण कार्यो हेतु उपयुक्त स्थान उपलब्ध कराना
- एस.डी.एम.सी. के सदस्यो में से भवन निर्माण हेतु तीन सदस्यीय क्रय समिति, देखरेख पर्यवेक्षण समिति, लेखा समिति आदि गठित करना।
- स्थानीय बाजार में सर्वे कर क्रय समिति द्वारा निर्माण सामग्री श्रम करना।
- स्थानीय कुशल एवं अर्धकुशल कारीगर व श्रमिकों का चयन कर कार्य पर लगाना।
- तकमीने तथा स्वीकृत राशि की सीमा में कार्य पूर्ण करना।
- नियमित बैठको में व्यय राशि का लेखा प्रस्तुत कर अनुमोदित कराना।
- विद्यालय की वास्तविक आवश्यकता को सी.आर.सी./बी.आर.सी./कनि. अभियन्ता को अवगत कराते हुये स्वीकृत कराना।
- कनिष्ठ अभियन्ता से निर्माण हेतु ले–आऊट प्राप्त करना/नक्शा व तकमीना प्राप्त करना।
- निर्माण कार्यो हेतु एस.डी.एम.सी. के सदस्यो के विभिन्न प्रशिक्षणों में प्रशिक्षित करना।
- आवश्यकतानुसार समय समय पर ब्लाक के कनि. अभियन्ता से तकनीकी मार्गदर्शन प्राप्त करना।
- नियमानुसार उपयोगिता प्रमाण पत्र व कार्य पूर्ण होने पर पूर्णता प्राप्त पत्र समय पर प्रस्तुत करना।
- निर्माण कार्य के निर्धारित प्रपत्रो में नियमित लेखा जोखा रखना।
- निर्माण कार्य हेतु क.अभियन्ता /सहायक अभियन्ता द्वारा दिये गये निर्देशो को पालना करना।
- निर्माणधीन कार्यो की सामग्री हेतु गुणावत्ता परीक्षण कराना।
- निर्माण कार्य स्वीकृत पश्चात व प्रारम्भ कराने से पूर्व निर्धारित प्रारूप में जिला परियेाजना समन्वयकों से अनुबन्ध करना।

निर्माण कार्यों में संकुल संदर्भ केन्द्र प्रभारी / खण्ड संदर्भ केन्द्र प्रभारी की भूमिका :

- एस.डी.एम.सी के खाता संख्यॉ जिला कार्यालय को सूचित करना ।
- एस.डी.एम.सी से विद्यालय के मरम्मत के प्रस्ताव प्राप्त होने पर उसकी जॉच कर जिला परियोजना कार्यालय को अपनी टिप्पणी सहित अग्रेषित करना ।
- संबंधित एस.डी.एम.सी को निर्माण कार्यों की राशि आवंटन के पश्चात यह सुनिश्चित करना की राशि संबंधित एस.डी.एम.सी के खाते में स्थानान्तरित हो गई है । तत्पश्चात एस.डी.एम.सी को इस संबंध में सुचित करना ।

- यह सुनिश्चित करना की संबंधित एस.डी.एम.सी द्वारा निर्माण कार्यों हेतु आवश्यक रिकार्ड का नियमित संधारण किया जा रहा है ।
- स्वीकृत निर्माण कार्यों हेतु स्थान की उपलब्धता सुनिश्चित करना । किसी प्रकार के विवाद आदि के स्थिति में एस.डी.एम.सी, स्थानीय समुदाय व स्थानीय प्रशासनिक अधिकारियों के सहयोग से निस्तारण करना ।
- गत वर्षों के अपूर्ण /विवादित कार्यों को पूर्ण करने हेतु संबंधित एस.डी.एम.सी को पाबंद करना ।
- निर्माण कार्यों का मूल्यांकन कम होने की स्थिति में संबंधित एस.डी.एम.सी से अन्तर की राशि वसूलने हेतु आवश्यक कार्यवाही करना ।
- किसी प्रकार की अनियमितता के स्थिति में संबंधित एस.डी.एम.सी के विरूद्ध प्रशासनिक /अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रस्तावित करना ।

निर्माण कार्यो में डी.पी.सी/ए.डी.पी.सी की भूमिका :

- जिले में प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालयों में आवश्यक भौतिक मूल भूत सुविधाऐं उपलब्ध कराने हेतु वार्षिक कार्ययोजना संबंधित सहायक अभियंता की सहायता से तैयार करना व जिला स्तर पर उचित स्तर से उनका अनुमोदन कराना ।
- निर्माण कार्यों की अनुमोदित वार्षिक कार्ययोजना के अनुसार स्वीकृति योग्य समस्त निर्माण कार्यों की प्रशासनिक, वित्तीय एवं तकनीकी स्वीकृति जारी करना ।
- बजट की उपलब्धता के अनुसार स्वीकृत कार्यों हेतु समय समय पर प्रथम, द्वितीय एवं अंतिम किस्त जारी करना ।
- स्वीकृत निर्माण कार्यों हेतु स्थानीय जिला प्रशासन की सहायता से भूमि आवंटन एवं किसी प्रकार के विवाद आदि के स्थिति में एस.डी.एम.सी, स्थानीय समुदाय व स्थानीय प्रशासनिक अधिकारियों के सहयोग से निस्तारण करवाना ।
- जिला स्तर पर निर्माण कार्यों की प्रगति की नियमित समीक्षा करना एवं परिषद कार्यालय को सूचित करना।

निर्माण कार्यो में लेखा प्रकोष्ठ की भूमिका :

- निर्माण कार्यों की वित्तीय स्वीकृति जारी हेाने के बाद संबंधित एस.डी.एम.सी को स्वीकृत कार्यों की प्रथम किस्त की राशि जारी कर स्थानीय बैंको से संपर्क कर यह सुनिश्चित करना की राशि संबंधित एस.डी.एम. सी के खाते में स्थानांतरित हो गई हो ।
- निर्माण कार्यों हेतु समय समय पर प्राप्त उपयोगिता / पूर्णता प्रमाण पत्र का समायोजन करना एवं अग्रिम किस्त की राशि एस.डी.एम.सी के खाते में स्थानान्तरित करना।
- परिषद कार्यालय से आवश्यकतानुसार निर्माण कार्यों हेतु राशि की मांग करना ।

राशि का हस्तांतरण एवं उसकी उपयोगिता

- निर्माण कार्यो हेतु SDMC की सुविधा को देखते हुए सामान्यतया कार्य की लागत की 75 % राशि, कार्य की स्वीकृति के साथ ही SDMC को अग्रिम प्रदान की जाती है।
- 75 % राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त होने व कार्य लिन्टल स्तर तक होने पर द्वितीय किश्त के रूप मे 20 % राशि जारी की जाती है।

- शेष 5 % राशि कार्य के पूर्णता प्रमाण पत्र प्राप्त होने पर आबंटित कर दी जाती है। पूर्णता प्रमाण पत्र के साथ क0अभि0 द्वारा किया गया कार्य का मुल्यांकन व एस.डी.एस.सी. द्वारा श्रम व सामग्री का व्यय विवरण भी प्रस्तुत किया जावें।
- यह राशि पूर्ण आवंटित राशि के सदुपयोग व किये गये कार्य के मूल्यांकन पश्चात जारी की जाती है।
- हस्तांतरित की गई राशि का पूर्णता प्रमाण पत्र जारी करते समय संबंधित कार्य की फोटोग्राफ संलग्न की जावेगी ।
- एक लाख रूपये से कम राशि के कार्यों हेतु (विशेष मरम्मत के कार्यों के अतिरिक्त) एस.डी.एम.सी को 75 प्रतिशत एवं 25 प्रतिशत की दो किस्तो में राशि आवंटन की जाती है ।

- **प्रति माह निर्माण सामग्री के गुण नियत्रंण हेतु न्यूनतम परीक्षणों के मापदण्ड**

क्र.स.	आईटम/ सामग्री	परीक्षण का प्रकार	न्यूनतम परीक्षणों की संख्यॉ प्रति माह	
			प्रत्येक कनिष्ठ अभियंता	प्रत्येक सहायक अभियंता
1	ईंट	नाप, (लंबाई, चौड़ाई, उॅचाई)– फील्ड टेस्ट	2	1
2	ईंट / पत्थर	वाटर एबजॉरबेशन परीक्षण – फील्ड टेस्ट	2	1
3	सीमेन्ट	ग्रेड (43/53) व आई. एस. आई मार्का /निर्माता – फील्ड में चैक करना	4	1
4	बजरी	ग्रेडेशन – फील्ड टेस्ट	4	1
5	सीमेन्ट मोरटार	कम्प्रेसिव स्ट्रेन्थ – लैब टेस्ट	2	1
6	सीमेन्ट कंक्रीट	कम्प्रेसिव स्ट्रेन्थ (आर. सी.सी बीम व छत) – लैब टेस्ट	1	1
		स्लम्प टेस्ट (Workability) – फील्ड टेस्ट	4	1

निर्माण कार्यो की गतिविधियों के निष्पादन हेतु निम्नानुसार दिशानिर्देश प्रदान किये जाते है :–

1. अतिरिक्त कक्षा–कक्ष :–

वार्षिक कार्ययोजना वर्ष 2010–11 में अतिरिक्त कक्षाकक्षों के सीमित प्रावधान को ध्यान में रखते हुये अतिरिक्त कक्षाकक्ष डाईस 2009 के आधार पर पुनः भौतिक सत्यापन उपरान्त आवश्यकता को देखते हुये स्वीकृत किये जावें। स्वीकृति जारी करने हेतु अतिरिक्त कक्षाकक्ष (मय बरामदा) की नवीन इकाई लागत रू. 2.30 लाख की सीमा में सार्वजनिक निर्माण विभाग की प्रचलित बीएसआर के आधार पर जिलेवार मॉडल तकमीना तैयार करे जिसमें कक्षाकक्ष में आलमारी एवं बालागतिविधियां व रैम्प सम्मिलित की जावें। प्रस्ताव निम्नानुसार प्राथमिकता के आधार पर स्वीकृत किये जावें :–

- जिले में एकल कक्षाकक्षीय राजकीय प्राथमिक/उच्च प्राथमिक विद्यालयों में क्रमशः न्यूनतम 1/2 कक्षा–कक्ष स्वीकृत किये जावें।
- सर्वप्रथम जिले के भवन रहित प्राथमिक/उच्च प्राथमिक विद्यालयों जिनमें भूमि उपलब्ध हैं, में क्रमशः न्यूनतम 2/3 कक्षा–कक्ष स्वीकृत किये जावें।
- उपरोक्त के पश्चात् शेष लक्ष्यों हेतु जिन राजकीय प्राथमिक/उच्च प्राथमिक विद्यालयों में विद्यार्थी कक्षाकक्ष का अनुपात 40 से अधिक है वहाँ **छात्रों की वास्तविक उपस्थिति के आधार पर आवश्यकतानुसार कक्षाकक्ष का आंकलन कर अतिरिक्त कक्षा–कक्ष स्वीकृत किये जावें।**
- प्राथमिक विद्यालयों से क्रमोन्नत होने वाले उच्च प्राथमिक विद्यालयों में एवं वैकल्पिक विद्यालय से परिवर्तित हुए प्राथमिक विद्यालयों में आवश्यकतानुसार कक्षाकक्ष स्वीकृत किये जावे।

प्रधानाध्यापक कक्ष :–

समस्त उच्च प्राथमिक विद्यालयों एवं मॉडल कलस्टर विद्यालयों को प्राथमिकता देते हुये जिले के प्रधानाध्यापक कक्ष विहिन समस्त उच्च प्राथमिक विद्यालयों में डाईस 2009 एवं भौतिक सत्यापन उपरान्त वार्षिक योजना 2010–11 के अनुमोदित लक्ष्यों की सीमा में प्रधानाध्यापक कक्ष स्वीकृत किये जाने है।

प्रधानाध्यापक कक्ष की इकाई लागत रू. 1.55 लाख है। अतः प्रधानाध्यापक कक्ष के निर्माण हेतु मॉडल तकमीना तैयार करते समय विद्यालय की टीएलई एवं अन्य सामान मिड–डे मील की सामग्री आदि को सुरक्षित रखने हेतु पर्याप्त भण्डारण हेतु स्थान का प्रावधान रखा जावें

विद्युतीकरण :–

वार्षिक कार्ययोजना वर्ष 2010–11 में स्वीकृत लक्ष्यानुसार ऐसे ग्राम जिसमें वर्तमान में विद्युत सुविधा उपलब्ध हो, वहां के समस्त उच्च प्राथमिक विद्यालयों में निम्न प्राथमिकता के आधार पर विद्युतीकरण (कनेक्शन सहित) किया जाना है। इसके अन्तर्गत विद्यालयों में प्रथमतः बिजली के कनेक्शन के साथ उपलब्ध कक्षाकक्षों में बिजली की फिटिंग मय उपकरण यथा पंखा, टयूबलाईट, ब्लब, बिजली के पाईन्ट आदि के कार्य भी कराये जाने हैं। इस गतिविधि हेतु प्रति विद्यालय **संशोधित औसत इकाई लागत रू. 0.30 लाख** स्वीकृत हैं। विद्युतिकरण हेतु प्राथमिकता निम्नानुसार सुनिश्चित की जावें :–

- समस्त मॉडल कलस्टर विद्यालयों का विद्युतीकरण (कनेक्शन) कराया जाना हैं।
- समस्त कल्प विद्यालयों का विद्युतीकरण (विशेषकर कम्प्यूटर कक्ष)
- समस्त बालिका उच्च प्राथमिक विद्यालयों का विद्युतीकरण
- अन्य उच्च प्राथमिक/प्राथमिक विद्यालय जहां विद्युत आपूर्ति उपलब्ध हों

मेजर रिपेयर :–

गत वर्ष के निर्देशानुसार ही ऐसे राजकीय प्राथमिक/उच्च प्राथमिक विद्यालय जो 10 वर्ष पुराने हो में इस कार्यालय के पूर्व आदेश क्रमांक 79619–50 दिनांक 31.03.09 द्वारा दिये निर्देशानुसार व प्राथमिकता के अनुसार मेजर रिपेयर वार्षिक कार्ययोजना में उपलब्ध लक्ष्यों की सीमा तक वास्तविक आवश्यकता के आधार पर मेजर रिपेयर के कार्य (औसत इकाई लागत रू. 0.525 लाख) स्वीकृत किये जावें। कार्य स्वीकृत करने से पूर्व एवं कार्य पूर्ण होने के पश्चात् के फोटोग्राफ लिये जावें। प्रस्ताव इस प्रकार लिये जावें कि रिपेयर पश्चात् संसाधन (कक्षाकक्ष) का सदुपयोग सुनिश्चित हो सकें। किसी विद्यालय भवन की मरम्मत हेतु अधिकतम रू. 0.75 लाख ही स्वीकृत किये जावें। इस संबंध में परिषद् के पूर्व पत्रांक 7777 दिनांक 19.03.10 एवं 13082 दिनांक 05.05.10 द्वारा भी निर्देश जारी किये जा चुके हैं।

शौचालय सुविधा बालिकाः–

जिलें में वार्षिक कार्ययोजना वर्ष 2010–11 में अनुमोदित प्रावधान के अनुसार प्रत्येक प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में बालिका शौचालय स्वीकृत किये जाने हैं। प्रत्येंक बालिका शौचालय के साथ (विशेष रूप से रा0उ0प्रा0वि0 में) इन्सीनरेटर (Incinerator) भी आवश्यक रूप से बनाया जाना हैं। इस हेतु शौचालय रहित विद्यालयों की सूची डाईस 2009 के सर्वेक्षण से प्राप्त कर भौतिक सत्यापन उपरान्त ही स्वीकृति जारी की जावें। इस गतिविधि हेतु इकाई लागत रू. 0.25 लाख अनुमोदित हैं।

विद्यालयों में बालकों हेतु शौचालय सम्पूर्ण स्वच्छता अभियान के अन्तर्गत स्वीकृत किये जावेगें।

पेयजल सुविधा :–

जिले में वार्षिक कार्य योजना 2010–11 में उपलब्ध प्रावधानुसार पेयजल सुविधा विहिन राजकीय प्राथमिक/उच्च प्राथमिक विद्यालयों में पेयजल सुविधा (हैण्डपम्प/पी.एच.ई.डी कनेक्शन मय वॉटर टेंक/वर्षा जल संग्रहण संरचना) उपलब्ध करवाई जानी है। इस हेतु पेयजल विहिन विद्यालयों की सूची डाईस 2009 के सर्वेक्षण से प्राप्त कर भौतिक सत्यापन उपरान्त ही स्वीकृति जारी की जावें। इस गतिविधि हेतु इकाई लागत रू. 0.60 लाख अनुमोदित हैं।

विद्यालयों की चार दिवारी :–

ऐसे प्राथमिक/उच्च प्राथमिक विद्यालयों जो नेशनल हाईवे या अन्य सड़क के किनारे स्थित है अथवा नदी, नाले, नहर के समीप स्थित हैं अथवा जंगल, बीहड़ क्षेत्र के समीप हैं अर्थात जहां पर विद्यार्थी असुरक्षित हैं, में वास्तविक आवश्यकता (चार दिवारी की लम्बाई) के आधार पर चार दीवारी निर्माण कार्य अनुमोदित लक्ष्यानुसार स्वीकृत किया जाना है। विद्यालय में चार दीवारी निर्माण कार्य कराते समय प्रवेश द्वार जिस पर बोर्ड़ लगाया जाकर विद्यालय का नाम, ग्रेड़ आदि अंकित हों को भी सुनिशिचित करें। **इस गतिविधि हेतु संशोधित औसत इकाई लागत रू. 2.50 लाख (रू. 2000 प्रतिमीटर) अनुमोदित हैं। इसमें केजीबीवी परिसर व मॉडल कलस्टर विद्यालयों को प्राथमिकता प्रदान की जावें।**

Child Friendly Elementry (बाला गतिविधि) :–

सर्व शिक्षा अभियान अन्तर्गत जिले के प्रत्येक ब्लॉक में अनुमोदित लक्ष्यों की सीमा में 4 से 5 प्राथमिक/उच्च प्राथमिक विद्यालयों का बाला गतिविधि हेतु चयन किया जावें। इस हेतु विद्यालय का चयन करते समय यह सुनिश्चित किया जावे कि विद्यालय परिसर में चारदिवारी, शौचालय, पेयजल सुविधा उपलब्ध हो ताकि विद्यालय एक आदर्श विद्यालय के रूप में विकसित किया जा सकें। इस हेतु मॉडल कलस्टर विद्यालयों को प्राथमिकता प्रदान की जावें। इस गतिविधि की इकाई लागत रू. 0.50 लाख प्रति विद्यालय हैं जिसमें कक्षाकक्ष, बरामदे व विद्यालय परिसर के खुले क्षेत्र में बाला गतिविधियां क्रियाविन्त की जानी हैं। इस हेतु दिनांक 06–07 मई 2010 को सवाईमाधोपुर में यूनीसेफ के सहयोग से की गई कार्यशाला में दी गई जानकारी एवं बाला दिशानिर्देशिका का समुचित उपयोग किया जावें।

वार्षिक कार्य योजना वर्ष 2010–11 में अनुमोदित लक्ष्यों (संलग्न) के अनुसार उपरोक्त निर्माण गतिविधियों के क्रियान्वन हेतु डाईस 2009 व भौतिक सत्यापन कर विद्यालयों/ गतिविधियों का चयन दिनांक 15 जून 2010 तक आवश्यक रूप से किया जाना सुनिश्चित करें व समुचित राशि उपलब्ध होने पर निर्धारित प्रक्रियानुसार प्रशासनिक/तकनीकी/वित्तीय स्वीकृतियां जारी कर 30 जून 2010 तक प्रथम किस्त की राशि संबंधित एसडीएमसी को जारी करावें ताकि निर्माण कार्य प्रारम्भ हो सकें।

सर्व शिक्षा अभियान में अनुमोदित निर्माण गतिविधिया एवं उनकी ईकाई लागत (अधिकतम) 2010–11

क्र.स.	निर्माण गतिविधि का नाम	ईकाई लागत (रू. लाखो में)		विशेष विवरण
		2009–10	2010–11	
1	अतिरिक्त कक्षा कक्ष	2.30	2.30	1 कक्षा कक्ष, व रैम्प मय, गुरूमित्र /बाला गतिविधी, बाल केन्द्रित धटक
2	प्रधानाध्यापक कक्ष	1.55	1.55	1 प्रधानाध्यपक कक्ष मय स्टोर
3	रूफ टॉप रैन वाटर हारवेर्स्टिंग संरचना / हैडपम्प	0.60	0.60	टांका, हैण्ड पम्प व पाईप आदि पूर्ण कार्य
4	मेजर रिपेयर	0.75	0.53	प्रति विद्यालय छत, खिड़की, दरवाजे, फर्श, आदि मरम्मत कार्य (अधिकतम रूपये 0.75 प्रति विद्यालय)
5	कस्तुरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय (माडल I)	20.00	38.75	100 बालिकाओं हेतु आवासीय विद्यालय (तीन कक्षा कक्ष, चार डोरमेटरी, शौचालय, वार्डन कक्ष, कार्यालय, किचन, डाईनिंग हॉल आदि)
6	कस्तुरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय (माडलIII)	15.00	25.80	50 बालिकाओं हेतु आवासीय विद्यालय (तीन कक्षा कक्ष, दो डोरमेटरी, शौचालय, वार्डन कक्ष, कार्यालय, किचन, डाईनिंग हॉल आदि)
7	विद्युतिकरण	0.20	0.30	राजकीय प्राथमिक / उच्च प्राथमिक विद्यालयों में विद्युतिकरण सुविधा मय कनेक्शन, व फिटींग, उपकरण सहित
8	बाउंड्रीवाल (चारदीवारी) प्राथ. / उच्च प्राथ. विद्यालय	1850 प्रति रनिंग मीटर	2.50 (2000 प्रति रनिंग मीटर)	राजकीय प्राथ. / उच्च पाथमिक विद्यालय की चारदीवारी (असुरक्षित विद्यालय परिसरों हेतु)
9	बाउंड्रीवाल (चारदीवारी) कस्तुरबा गांधी आवासीय विद्यालय	2760 प्रति रनिंग मीटर	1.50	कस्तुरबा गांधी आवासीय विद्यालय चारदीवारी
10	शौचालय	0.25	0.25	1 डबल्यु सी, 3 मूत्रालय
11	फर्नीचर (प्रति विद्यार्थी)		0.005	उ.प्रा. विद्यालयों हेतु

उक्त इकाई लागत अधिकतम है जिसके अनुसार ही जिले पर निर्माण की विभिन्न गतिविधीयॉ स्वीकृत की जावेगी ।

भवन निर्माण के सामान्य दिशानिर्देश

लक्ष्य

- कम लागत में, स्थानीय सामग्री द्वारा, जन सहभागिता से श्रेष्ठ एवं सुरूचि पूर्ण निर्माण कार्य, पारदर्शिता से करना।

ले आउट

- भवन कार्य प्रारंभ करने से पूर्व कनिष्ठ अभियंताओं से स्थान का निरीक्षण व ले–आउट लेकर ही कार्य प्रारंभ किया जावे।
- भवन की नींव कम से कम 3 फुट चौड़ी एवं 3 फुट गहरी खोदी जावे एवं नींव में कठोर सतह आने के पश्चात ही नींव भराई का कार्य किया जावे । स्थानीय परिस्थिति अनुसार इसमें बदलाव कनिष्ठ अभियंता/ सहायक अभियंता के निर्देशानुसार किया जावे ।
- नींव में 3 फुट चौड़ाई में, 6 इंच मोटाई में 1:4:8 में सीमेंट कंक्रीट की जावे । गिटटी की मोटाई 40 एम.एम हो । (गिटटी हाथ से टूटी हुई हो)
- प्रथम खसका दोनों तरफ 3 इंच छोड़ते हुए पत्थर की चुनाई सीमेन्ट मसाला 1:6 में 15 इंच उॅचाई तक की जावे। द्वितीय खसके में दोनों तरफ पुनः 3 इंच छोड़ते हुए 15 इंच उचाई तक रखें ।

सामग्री

- सीमेंट 43 ग्रेड का ब्रान्डेड कम्पनी का ही काम में लिया जावे ।

पिलिंथ/कुर्सी

- जमीन लेवल के पश्चात 15 इंच चौड़ाई की, 2 फुट उॅचाई तक पत्थर की चिनाई करें । यह कुर्सी लेवल कहलाएगा । कुर्सी की उॅचाई स्थान के अनुसार निर्धारित होगी ।
- कुर्सी लेवल पर 15 इंच चौड़ाई में डीपीसी का कार्य आर.सी.सी. 1:2:4 में 4 इंच मोटाई में किया जावे , जिसमें क्रेशर गिटटी 10 एम एम से 12 एम. एम. को काम में ली जावे। डीपीसी में पत्थर के दासे भी लगाये जा सकते है।
- अगर भवन निर्माण ढलान सतह पर किया जा रहा है तो ढलान के अनुसार प्लिंथ लेविल में स्टैपिंग किया जावे ।

चुनाई

- चिनाई कुर्सी लेवल आने पर फर्श के नीचे मिट्टी भराई का कार्य 1 फीट – 1 फीट मोटी सतह में किया जावे एवं इसमें पानी भरकर कुटाई की जावे ।
- कुर्सी के उपर भवन की 11 फुट उंचाई तक, सीमेंट मसाला 1:6 में पत्थर की चुनाई का कार्य 15 इंच मोटाई में किया जावे । चुनाई में प्रत्येक रददे में 4–5 फुट दूरी पर (हेदर) पत्थर दीवार की पूरी मोटाई में लगाया जावे।
- बरामदों के खंभों की चुनाई में भी हर 3 फुट उंचाई पर दीवार की मोटाई के अनुसार पटटी के टुकड़े या कंक्रीट की 5–6 इंच मोटी बैड प्लेट लगावें ।

लिन्टल

- दरवाजे व खिड़की पर लिन्टल की मोटाई ओपनिंग का दसवां भाग रखें व लंबाई दरवाजे व खिड़की के साईज के आलावा दोनों तरफ 6 इंच की बियरिंग रखते हुए मेडा (लिन्टल) रखा जावे ।
- खिड़कियों पर छज्जे भी रखे जावें । छज्जे की लंबाई खिड़की से दोनें तरफ 6 इंच की बियरिंग रखते हुए 24 इंच चौड़ाई में लगाए जावें एवं छज्जों के पत्थर पर 2 इंच सीमेन्ट गिट्टी 1:3:6 में की जावे तथा कोपिंग एवं टपक बनाई जावें ।
- बरामदे के खम्भों के बीच में साठ पौंड (60 पौंड) की रेल का चिल्ला (रेल की लाईन) लगाई जावे उस पर मेडा पत्थर लगाया जावे अथवा खड़ी पट्टी के जोड़े का लगावें व बीच में मसाला गिट्टी भरें ।

खिड़की दरवाजे

भवन में खिड़की, कुर्सी से 2 फुट उंचाई पर लगावें जिससे बच्चों को पूर्ण हवा व रोशनी मिल सके । खिड़की का साईज 4 ग 5 फुट एवं दरवाजा 4 ग 7 फुट का रखा जावे । भवन में रोशनदान रखे जावें जो लोहे के 2 ग 1 फुट साईज के मच्छर जाली सहित बनाये जावें । खिड़की में भी मच्छर जाली लगावें । खिड़की के पल्ले अन्दर खुलते रखें । दरवाजे, खिड़की लकड़ी के नहीं लगावें , लोहे के ही बनवाए जावें । सभी दरवारजे /खिड़की की फ्रेम 40 ग40 ग 5 एम.एम की पत्ती में बनावें तथा होल्ड फास्ट 6'' हैण्डल 16'' तथा हत्था 4'' – 6'' की लम्बाई से कम नहीं रखें । कब्जे अच्छे लगाए तथा दरवाजे /खिड़की के पलड़े 20 गेज की एम. एस. शीट (चददर) में बनावें । पलड़ों में पीछे तिरछे एंगल में सपोर्ट भी लगावें तथा खिड़की की ग्रिल से अक्षर,, वर्णमाला, ज्यामिति आकृति आदि 12 एम. एम. सरिये का बनावें । खिड़की के पल्ले उतनी ही चौड़ाई के रखे कि वे दीवार से बाहर न निकले।

छत

- कमरे में दो गार्डर 12'' ग 5)'' साईज की जिसका वजन 44.2 किलो प्रति मीटर हो काम में ली जावे । गार्डर की लंबाई कमरे की बाहरी दीवार तक ली जावे । गार्डर पर श्रीवान पटटी की लंबाई में रखा जावे । टुकड़ो मे न रखें । गार्डर पर रेड आक्साईड करके ही चढाई जावे।
- कमरे व बरामदे पर पट्टियॉ अच्छी किस्म की 3)श्श से 4'' इंच मोटाई में दीवार की आधी चौड़ाई तक रखी जावे । पटिटयों की मोटाई पूरी लंबाई में एक समान हो एवं पेटा साफ हो
- गार्डर रखते समय गार्डर के नीचे 6 इंच मोटी पत्थर या कंक्रीट की बेड प्लेटस रखी जावे।
- पटिटयॉ के उपर कड़े का कार्य छोटी पक्की ईंटोंसे (कांगसी ईंट), सीमेन्ट मसाला 1:4 में घेरा बनाकर किया जावे । कड़े की तराई कम से कम 10 दिन तक कराई जावे ।
- छत के कड़े पर गार्डर वाले स्थान पर ईट की दीवार 9'' ग 9'' सीमेन्ट मसाला 1:4 में बनावें जिससे गार्डर पर दबाब पड़ सके
- कडे पर मोजाईक टाईल्स सीमेंट मसाला 1:4 में लगावें तथा 1:3 सीमेन्ट मसाला जोईन्ट में भरे । छत के चारों ओर गोला भी सीमेन्ट में बनाएं ।
- छत के पानी के निकास के लिए 4'' पी.वी.सी पाईप का प्रयोग करें तथा छत का ढलान 1:50 रखें ।

प्लास्टर

- भवन का प्लास्टर कार्य सीमेन्ट मसाला 1:6 में किया जावे । बाहर के प्लास्टर में डिजायन कनिष्ठ अभियंता के निर्देशानुसार डाली जावें।

ब्लैक बोर्ड

- कमरे व बरामदे में ब्लैक बोर्ड 6 फुट लंबा एवं 5 फुट उॅचा, 2 इंच बॉर्डर के साथ बनाया जावें । कमरे में आमने सामने दो ब्लैक बोर्ड बनावें व बरामदे में एक बनावें । ब्लैक बोर्ड के नीचे कोटा स्टोन की 5 इंच चौड़ाई में डस्टर प्लेट पूरी लंबाई (बोर्ड के बराबर) लगावें ।

फर्श

- कमरे व बरामदे के फर्श के नीचे 6'' मोटाई में सूखे पत्थर का खरंजा लगावें व उसके उपर 1:5:10 में 3 इंच मोटाई मे सीमेन्ट गिटटी कर कुटाई करें । इसके पश्चात कोटा स्टोन 38 एम. एम. मोटाई का पॉलिश वाला चारों धार मशीन कट साईज 1) ग 1) फुट का सीमेन्ट मसाला 1:4 में लगावें । साथ में 5 इंच स्कर्टिंग दीवार के सहारे चारों तरफ बरामदे व कमरे में लगाई जावे । सीढियों का कार्य कनिष्ठ अभियंता के निर्देशानुसार कराया जावे । सीढियों, खिड़कियों व दरवाजों तथा आलमारी में भी कोटा स्टोन लगाया जावे ।कमरे व बरामदे का ढाल आधा इन्च बाहर की तरफ रखें

रंग सफेदी

- भवन के अंदर सफेदी तीन कोट में कराई जावें तथा बाहर पिंक सनोसम कराया जावे । सनोसम का कार्य पानी के साथ पूर्ण तराई करा कर करावें ।
- दरवाजों व खिड़कियों पर रेड ऑक्साइड कर एनामल पेन्ट अच्छी किस्म का तीन कोट में करावें । मच्छर जाली पर नीला पेन्ट ही करावें । सभी गार्डरों पर ब्लैक जापान पेन्ट करावें ।

डोक्यूमेंटेशन

- भवन पर योजना का मोनोग्राम एवं स्कूल का नाम , योजना वर्ष आदि पक्के पेन्ट से पेन्टर द्वारा लिखावें । इसके पश्चात भवन के फोटोग्राफस , जिसमें सामने का एलीवेशन मय छत एवं अन्दर के फोटो खिंचवाई जावें । जिसकी दो प्रतियॉ बनावें ।
- अन्तिम किस्त के भुगतान हेतु कार्य का पूर्णतया प्रमाण पत्र व्यय विवरण, निर्माण कार्य के दो फोटोग्राफ एवं शाला प्रबन्धन समिति की बैठक में किया गया व्यय का अनुमोदन प्रस्ताव की प्रति संलग्न कर जिला कार्यालय में प्रेषित करने पर ही भुगतान देय होगा

जल संरक्षण

- छत के बरसात के पानी को 4'' के पी.वी.सी पाईप से नीचे उतारें ताकि उसका उपयोग टांके में किया जा सके ।

रेम्प व किचिन शेड

- नवीन स्कूल भवन निर्माण के साथ रेलिंग सहित रेम्प व किचिन शेड का निर्माण करना अनिवार्य है, इस की राशि यूनिट कोस्ट में शामिल है ।
- अतिरिक्त कक्षा कक्ष के निर्माण के साथ रेलिंग सहित रेम्प का निर्माण करना अनिवार्य है, इस की राशि यूनिट कोस्ट में शामिल है
- रेम्प की चौड़ाई 3 फुट, ढाल 1:10 एवं लोहे के पाईप की रेलिंग उॅचाई 2) फुट रखना सुनिश्चित करे

साधारण गलतियॉ जो नहीं की जावे

- कुर्सी लेवल 2)'' फुट रखना ।
- रेम्प का स्लोप कम रखना व रेम्प में रेलिंग नहीं लगाना ।

- हेदर स्टोन काम में न लेना ।
- छत का पानी पी.वी.सी पाईप द्वारा न उतारना ।
- तराई नहीं करना ।
- कम मोटाई के लिन्टल व श्रीवान लगाना ।
- प्रयोग से पूर्व ईंटों को दो धंटे तक नहीं भिगोना ।
- रैकिंग ऑफ ज्वाईंटस नहीं करना ।
- चुनाई व पिलर में बैड प्लेटस नहीं लगाना ।

विद्यालय भवन की विशेष मरम्मत हेतु दिशा निर्देश :–

1. सर्व शिक्षा अभियान वर्ष 2010–11 अन्तर्गत विद्यालय भवनों राजकीय प्राथमिक / उच्च प्राथमिक विद्यालयों की विशेष मरम्मत हेतु चयन निम्न पात्रता के अनुसार किया जाना है :–

1.1 ऐसे राज. प्राथ / उच्च प्राथ विद्यालय भवन जो गत 10 वर्षों की अवधि से पूर्व निर्मित हो ।

1.2 प्रत्येक जिले में राज. प्राथ / उच्च प्राथ विद्यालयों का चयन जिले में कुल राज. प्राथ / उच्च प्राथ विद्यालयों की वर्तमान संख्यॉ का 5 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा ।

1.3 प्रत्येक विद्यालय में विशेष मरम्मत कार्यों की लागत, विद्यालय में कुल मरम्मत होने वाले कमरों के नव निर्माण में हुए व्यय का 60 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी ।

1.4 विद्यालय भवनों की विशेष मरम्मत का तकमीना, अनु. लागत रू. 75000 /– से कम होने पर जिला स्तरीय समिति द्वारा स्वीकृत किया जावेगा ।

- जिला परियेाजना समन्वयक, सर्व शिक्षा अभियान
- सहायक अभियंता
- संबंधित ब्लॉक के बी.आर.सी.एफ

विशेष मरम्मत का तकमीना रू. 75000/– से अधिक होने पर परिषद कार्यालय द्वारा स्वीकृत किया जावेगा ।

1.5 विशेष मरम्मत हेतु चयनित विद्यालय में विशेष मरम्मत के कार्यों का चयन संबंधित सी.आर.सी.एफ, संबंधित विद्यालय के प्रधानाध्यापक एवं सबंधित ब्लॉक के क. अभियंता / सिविल कन्सलटेंट द्वारा प्रस्तावित किया जावेगा । प्रस्ताव प्रपत्र 1 में तैयार करना होगा।

1.6 ऐसे राज. प्राथ / उच्च प्राथ विद्यालय जिनमें वर्तमान कक्षा कक्षों की संख्यॉ का 50 प्रतिशत से अधिक कमरे क्षति ग्रस्त हो या विशेष मरम्मत की आवश्यकता हो, का चयन निम्न प्राथमिकता के क्रम में किया जावेगा

- नींव के सैटलमेन्ट के कारण दीवारों में आई गहरी दरारों का मरम्मत कार्य
- छत की टूटी पटटीयों का बदलना
- छत टपकने को रोकने हेतु दड बदलने / कंक्रीटिंग कार्य

- टूटे फर्श की मरम्मत का कार्य
- पुराने खराब, टूटे हुए दरवाजों, खिड़कियों, चौखट को सुधारना या नये से बदलने का कार्य
- पेयजल हेतु हैण्डपम्प गहरा करना, मरम्मत कार्य / पेयजल टंकी मरम्मत
- खिड़की दरवाजों पर टूटे हुए छज्जों को बदलने का कार्य

2. विद्यालयों में विशेष मरम्मत कार्य संबंधित विद्यालय विकास एवं प्रबंधन समिति '' के माध्यम से कराया जावेगा। मरम्मत कार्यों का पर्यवेक्षण संबंधित क. अभियंता / सिविल कन्सलटेंट / सहायक अभियंता द्वारा किया जावेगा । सम्पन्न किये गये मरम्मत कार्य का मूल्यांकन, पूर्णता प्रमाण पत्र जारी करना, उपयोगिता प्रमाण पत्र जारी करने की प्रक्रिया वैसी ही रहेगी जैसे की सर्व शिक्षा अभियान अन्तर्गत अन्य सिविल कार्य के लिये प्रावधित है।

3. विद्यालय भवन के विशेष मरम्मत हेतु प्राथमिकता

3.1 विद्यालय भवन के विशेष मरम्मत हेतु तकमीना निम्न प्राथमिकता एवं आधार पर तैयार किया जावेगा ।

3.1.1 भवन की नींव में सेटेलमेंट का उपचार, लोड बेयरिंग दीवार में आई दरारों की मरम्मत

3.1.2 छत में लीकेज का उपचार, दड दुवारा डालने का कार्य, टूटी हुई पटटीयों को बदलने का कार्य

3.1.3 टूटे हुए फर्श की मरम्मत का कार्य / पत्थर के फर्श में बदलने का कार्य

3.1.4 पुराने क्षतिग्रस्त दरवाजे, खिड़कियों, चौखट बदलने का कार्य

3.1.5 पुराने कमरेां में जहॉ रोशनदान नहीं है, वहॉ नये रोशनदान लगाने का कार्य

3.1.6 खिड़कियों के उपर टूटे हुए छज्जों की मरम्मत एवं बदलने का कार्य

3.1.7 शौचालय की मरम्मत व सुधार का कार्य । शौचालय की मरम्मत हेतु टूटी हुई डबल्यू.सी, टाईल्स, हाफ राउण्ड चैनल आदि को बदलने का कार्य । सोकेज पिट, वाटर टैंक आदि निर्माण करने का कार्य

3.1.8 हैण्डपम्प की मरम्मत का कार्य एवं उसके चारों और सीमेन्ट कंकरीट का प्लेटफार्म मय पानी निकालने की नाली निर्माण का कार्य ।

3.2 विद्यालय भवनों में निम्नलिखित मरम्मत कार्य प्रस्तावित नहीं किये जावे :–

1. पुराने प्लास्टर को हटाकर नया सीमेन्ट प्लास्टर करना
2. विद्यालय भवन की रंग / सफेदी एवं दरवाजों खिड़कियों पर रोगन इत्यादि का कार्य
3. ब्लैक बोर्ड मरम्मत, भण्डार कक्ष मरम्मत, विद्यालय में अक्षर एवं चित्रकारी का कार्य
4. विद्यालय की चारदीवारी की मरम्मत का कार्य
5. प्ले एलीमेन्ट (झूले फिसलपटटी) आदि की मरम्मत व रंगरोगन का कार्य ।

(नोट उपरोक्तानुसार क0 सं0 1 से 5 पर अंकित कार्य विद्यालय को उपलब्ध होने वाली स्कूल मेन्टेनेन्स ग्रान्ट एवं रिपेयर ग्रान्ट में से करवाये जाने है ।)

4. विशेष मरम्मत कार्य के तकमीने में मुख्य रूप से निम्न सूचनाओं का समावेश किया जावेगा

4.1 तकनीकी रिपोर्ट :– तकनीकी रिपोर्ट में भवन की वर्तमान स्थिति, मरम्मत हेतु प्रस्तावित कार्यों का विवरण, मरम्मत कार्यों की तकनीकी विशिष्टियों का विवरण , कुल लागत राशि एवं बी.एस.आर जिसपर तकमीना आधारित है का विवरण सम्मिलित किया जावेगा

4.2 तकमीने में मरम्मत कार्यों का सारांश निम्न प्रपत्र में सम्मिलित किया जावेगा :–

क्रस	आईटम	मरम्मत का प्रकार	मात्रा
1	छत	दड बदलने का कार्य / टूटी पटटी बदलने का कार्य	..... वर्गमीटर
2	फर्श	फर्श मरम्मत का कार्य / पत्थर फर्श में बदलने का कार्य	..... वर्ग मीटर
3	दरवाजे / खिड़की / रोशन दान	बदलने का कार्य	..... संख्या
4	खिड़की के उपर छज्जा	नये छज्जे लगाने का कार्य	.....वर्गमीटर
5	शौचालय	ग्लेज्ड टाईल्स बदलने का कार्य डबल्यू सी बदलने का कार्य सोकेज पिट बनाने का कार्य	..... वर्गमीटर ..... संख्याँ ..... संख्याँ
6	पेयजल सुविधा	पाईप लाईन बदलने का कार्य	..... रनिंग मीटर

4.3 एब्सट्रेक्ट आफ कास्ट में आईटम वाईज मात्रा का विवरण एवं कुल लागत का विवरण निम्न प्रपत्र में सम्मिलित किया जावेगा

क.स.	आईटम	मात्रा	दर	राशि

4.3.1 डिसमेन्टिलग से प्राप्त सामग्री को यथा सम्भव विशेष मरम्मत के दौरान काम में लिया जावें। ऐसी सामग्री जो काम में नहीं आई हो को नियमानुसार एस.डी.एम.सी द्वारा Auction ऑक्शन किया जावें। प्राप्त सामग्री को तकमीने / मूल्यांकन में Acount for किया जावें।

4.4 विद्यालय भवन में मरम्मत के कार्य से पूर्व विद्यालय के क्षतिग्रस्त भाग का फोटोग्राफ संलग्न करना होगा ।

5. विद्यालय भवन में मरम्मत के कार्य कराने की विधि हेतु पृथक से विस्तृत परिपत्र जारी किया जावेगा ।

6. मरम्मत कार्यों के निरीक्षण हेतु कनिष्ठ अभियंता एवं सहायक अभियंता के मापदण्ड वही होंगे जो सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत कराये जा रहे निर्माण कार्यों हेतु निर्धारित है ।

7. विद्यालयों में कराये गये विशेष मरम्मत कार्यों का मूल्यांकन रैण्डम सैंम्पल के आधार पर निम्न स्तरों से किया जावेगा –

7.1 प्रत्येक जिला प्रभारी अधिकारी अपने जिले में भ्रमण के दौरान प्रत्येक ब्लॉक में विशेष मरम्मत के कार्य को कम से कम 2 विद्यालय में निरीक्षण करेंगे ।

7.2 थर्ड पार्टी मूल्यांकन के रूप में एक जिला स्तरीय, कमेटी गठित की जावेगी जिसके निम्न लिखित सदस्य होंगे ।

- एक राजस्व अधिकारी (जिला कलेक्टर द्वारा मनोनित)
- जिले का सहायक अभियंता, सर्व शिक्षा अभियान
- जिला परियेाजना समन्वयक, सर्व शिक्षा अभियान

उक्त कमेटी भी प्रत्येक ब्लॉक में कम से कम दो विद्यालयों में कराये गये विशेष मरम्मत कार्यो का निरीक्षण करेगी ।

7.3 मूल्यांक रिपोर्ट निम्न प्रपत्र में तैयार की जावेगी

1	जिले / ब्लॉक / विद्यालय का नाम	
2	मरम्मत हेतु लागत राशि	
3	कक्षा कक्ष, शौचालय, पेयजल मरम्मत की संख्यॉ	
4	मरम्मत अन्तर्गत की गई मुख्य गतिविधियॉ	
5	मरम्मत कार्यों का विश्लेषण :– ▪ छत मरम्मत – लीकेज ▪ दीवार मरम्मत – दरार ▪ दरवाजे / खिड़की मरम्मत ▪ फर्श मरम्मत – फिनिशिंग ▪ छज्जा मरम्मत – दो फीट चौड़ाई ▪ शौचालय मरम्मत – उपयोगी ▪ पेयजल सुविधा मरम्मत – उपयोगी ▪ फिनिशिंग	 हॉ / नहीं हॉ / नहीं हॉ / नहीं सही / गलत हॉ / नहीं हॉ / नहीं हॉ / नहीं हॉ / नहीं सही / गलत
6	एस.डी.एम.सी द्वारा लेखा संधारण	हॉ / नहीं
7	मरम्मत पूर्व एवं पश्चात के फोटोग्राफ के आधार पर मरम्मत की गुणवत्ता	

हस्ताक्षर

मूल्यांकन समिति / अधिकरी

8. मरम्मत कार्य हेतु राशि का हस्तांतरण

विद्यालय में मरम्मत कार्य के लिए राशि का हस्तांतरण निम्नलिखित किस्तों में किया जावेगा :

प्रथम किस्त	स्वीकृत लागत का 75 प्रतिशत	अग्रिम राशि बतौर
द्वितीय किस्त	स्वीकृत लागत का 25 प्रतिशत	तकमीने में प्रस्तावित मरम्मत कार्यों में से 50 प्रतिशत कार्य पूर्ण होने पर
तृतीय किस्त	स्वीकृत लागत का 5 प्रतिशत	कार्य पूर्ण होने पर

भवन मरम्मत कार्य हेतु मुख्य चरण :–

क0स0	चरण	किसके द्वारा	किसको प्रस्तुत
1	रिपेयर हेतु विद्यालयों का क्लस्टर स्तर पर चयन	सी.आर.सी.एफ व क. अभियंता	बी.आर.सी.एफ
2	मरम्मत कार्यों का विवरण निर्धारित प्रपत्र में भरवाना तथा प्रस्तुत करना	सी.आर.सी.एफ / प्रधानाध्यापक / क. अभियंता	बी.आर.सी.एफ
3	विस्तृत तकमीना तैयार करना	क. अभियंता	बी.आर.सी.एफ
4	जिला कार्यालय में प्रस्ताव प्रार्थना प्रपत्र व तकमीना सहित	क. अभियंता / बी.आर.सी.एफ	सहायक अभियंता / डी. पी.सी
5	ब्लॉकवार प्रस्तावों का परीक्षण व अंतिम चयन (मास्टर लिस्ट)	सहायक अभियंता	डी.पी.सी
6	टी. एस. जारी करना	सहायक अभियंता	डी.पी.सी
7	ए.एस / एफ. एस	सहायक अभियंता / सहायक लेखाधिकारी	डी.पी.सी
8	कार्य प्रारंभ करने से पूर्व एस.डी.एम.सी से अनुबंध करना	सी.आर.सी.एफ	बी.आर.सी. एफ के माध्यम से डी.पी.सी कार्यालय में भेजना
9	कार्य प्रारंभ कराना व तकनीकी मार्गदर्शन	क. अभियंता	सहायक अभियंता को रिपोर्ट प्रस्तुत करना
10	उपयोगिता व पूर्णता प्रमाण पत्र तैयार करना	क. अभियंता / बी.आर.सी.एफ	जिला परियोजना समन्वयक / सहायक अभियंता
11	कार्य से प्रारंभ व पूर्ण होने पर फोटोग्राफ लेना	क. अभियंता / सी.आर.सी.एफ / प्रधानाध्यापक	बी. / आर.सी.एफ / फोटोग्राफ जिला कार्यालय भेजना सुनिश्चत करेंगे ।

सर्व शिक्षा अभियान

विशेष मरम्मत कार्य प्रस्ताव हेतु प्रपत्र

1. विद्यालय का नाम .....
2. ग्राम का नाम..... ..... ग्राम पंचायत.....जिला ....
3. ब्लॉक का नाम
4. विद्यालय में छात्र की संख्यॉ .....छात्र ..... छात्राऐं
5. विद्यालय में अध्यापकों की संख्यॉ .....
6. विद्यालय में कुल कक्षा कक्ष .....
7. विद्यालय मे उपलब्ध अन्य सुविधाऐं
    - प्रधानाध्यापक कक्ष
    - शौचालय
    - छात्राओं हेतु शौचालय
    - पेयजल सुविधा
    - अन्य
8. मरम्मत कार्यों का प्रस्ताव (प्राथमिकता क्रम में) :–

- .
- .
- .
- .
-

9. मरम्मत कार्यों की उपयोगिता :–

.....

.....

प्रधानाध्यापक एवं अध्यक्ष
एस.डी.एम.सी .....

हस्ताक्षर
संकुल प्रभारी

हस्ताक्षर
क. अभियंता / सिविल कन्सलटेंट

आनन्ददायी शिक्षण हेतु विद्यालय भवन

छात्रो को अध्ययन हेतु विद्यालय में लाना एवं लगातार जोडे रखने के लिये यह आवश्यक है कि विद्यालय भवनों को अत्यन्त आकृर्षित बनाया जावे।

इस हेतु विद्यालय भवनो मे विभिन्न प्रकार के बाल केन्द्रित घटको का समावेश किया जाना आवश्यक है। विद्यालय भवन के समस्त भागों जैसे फर्श, दीवार, छत, दरवाजा खिडकी, बरामदा, चबूतरा आदि का निर्माण इस प्रकार किया जाना चाहिए कि विद्यार्थी उन्हे देखकर, छू कर कुछ सीखे। इस तरह तैयार किया गया भवन सीखने सिखाने के लिये पाठ्य पुस्तक की पूरक और शिक्षण प्रक्रिया में सहायक हो सकता है। इस हेतु प्रत्येक अतिरिक्त कक्षाकक्ष के निमार्ण में निम्न प्रकार के घटको का समावेश आवश्यक रूप से किया जावें।

- विद्यार्थियों हेतू ब्लैक बोर्ड
- फर्श में विभिन्न प्रकार की आकृतियां, एवं ज्यामिती चित्रो का निर्माण
- दीवारो पर शिक्षण चित्र, चार्ट, कहानियां, गीत, श्लोक, पेन्टिग
- विद्यालय प्रागण में आकृर्षित विभिन्न प्रकार के झूले,फिसल पट्टी, मेरी–गो–राउन्ड, सी–सॉ, खेल कूद हेतु बनावे जावे।
- खुला कक्षाकक्ष मय बोर्ड
- पेड के नीचे चबूतरा मय बोर्ड
- कक्षाकक्षों मे लर्निग कार्नर व चार्ट टागने के लिये लकडी की पट्टी लगाना
- खिडकी की ग्रिल में वर्णमाला,आकृति,ज्यामिती चित्र का निर्माण करना आदि।

विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों की सुविधा हेतु रैम्प का निर्माण

राजकीय प्राथमिक/उच्च प्राथमिक विद्यालय भवनों में विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों की सुविधा हेतु रैम्प का निर्माण कराया जाना अत्यंत आवश्यक है । प्रत्येक विद्यालय में सर्व शिक्षा अभियान, डी.पी.ई.पी फेज द्वितीय, एन.पी.ई.जी.ई.एल, कस्तुरबा गांधी आवासीय विद्यालय आदि समस्त योजनाओं के निर्माण कार्यों में जहॉ तक संभव हो प्रावधान लिया जाना चाहिए । समन्ति विकलांग शिक्षा के विभिन्न गतिविधियों के लिए आवंटित बजट की राशि में से भी पुराने विद्यालयों में निशक्त बच्चों की सुविधा हेतु रू.10000.00 .की इकाई लागत से रैम्प मय रेलिंग का निर्माण कराया जा सकता है । विद्यालय भवन व अति. कक्षा कक्ष एवं शौचालय का निर्माण भवन की प्लिंथ की दीवार के सहारे समानांतर किया जाना चाहिए । रैम्प निर्माण में साईट पर बची हुई अनुपयोगी सामग्री का उपयोग किया जा सकता है । रैम्प निर्माण के समय निशक्त बच्चो की सुरक्षा एवं सुविधा हेतु निम्न बातों का ध्यान आवश्यक रूप से रखा जावे ।

- रैम्प की चौड़ाई 3 फुट रखी जावे ।
- रैम्प की ढाल आवश्यक रूप से 1 : 10 से कम न रखा जावे ।
- प्रत्येक रैम्प के साथ 2 1/2 फुट उंचाई पर हैण्डरेलिंग आवश्यक रूप से लगायी जावे ।
- रैम्प की सतह फिसलन विरोधी फर्श युक्त होना चाहिए ।

टाईम लाईन

1	Idenitification of School/site												
2	AS/TS issue												
3	FS issue												
4	Release of I installments												
5	Layout												
6	Plinth level												
7	Lintal level												
8	Utilization certificate												
9	Release of II installment												
10	Roof level												
11	Finishing work & completion												
12	Completion certificate												

Boundary Wall

S.N.	Name of Action Point	April	May	June	July	August	September	October	November	December	January	February	March
1	Idenitification of School/site												
2	AS/TS issue												
3	FS issue												
4	Release of I installments												
5	Layout												
6	Plinth level												
7	Utilization certificate												
8	Release of II installment												
9	Finishing work & completion												
10	Completion certificate												

Major Repair

S.N.	Name of Action Point	April	May	June	July	August	September	October	November	December	January	February	March
1	Idenitification of School/site												
2	AS/TS issue												
3	FS issue												
4	Release of I installments												
5	Utilization certificate												
6	Release of II installment												
7	Finishing work & completion												
8	Completion certificate												